

अनुसूचित जाति के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रवर्तित योजना)

1	योजना का नाम	अनुसूचित जाति के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति		
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	कक्षा 9 से 10 में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है।		
3	प्रारंभ होने का वर्ष	वर्ष 1984-85 (संशोधित 1989, पुनः संशोधन 2012-13), के0प्र0योजना		
4	लाभान्वित वर्ग	अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र/छात्रा		
5	पात्रता	<ol style="list-style-type: none"> 1. छात्र-छात्रा अनुसूचित जाति का होना चाहिए। 2. छात्र जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत समितियां ज़गर पालिकाओं द्वारा संचालित स्कूलों में अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 9 से 10 में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन कर रहे हो। 3. छात्र जिनके माता पिता जीवित हो या उनके न होने पर संरक्षक आयकर न देते हो। 4. छात्र-छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्रोत से अध्ययन हेतु किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो। 5. छात्र-छात्रा जो पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं रहा हो। यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तो छात्रवृत्ति पुनः चालू कर दी जावेगी। इसके लिए विद्यार्थी को पुनः नूतन छात्रवृत्ति आवेदन करना होगा। 6. छात्र जो विभाग द्वारा संचालित या विभाग द्वारा अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो। 		
6	देय सुविधा	क्र.सं.	डेस्कॉलर	छात्रवृत्ति की दरें (10 माह हेतु) कक्षा 9 से 10
		1	छात्र-छात्रा	150/- प्रतिमाह
		2	छात्र-छात्राओं को एकमुश्त	750/- प्रति वर्ष
		क्र.सं.	हॉस्टलर	छात्रवृत्ति की दरें (10 माह हेतु) कक्षा 9 से 10
		1	छात्र-छात्रा	350/- प्रतिमाह
		2	छात्र-छात्राओं को एकमुश्त	1000/- प्रति वर्ष
7	आवेदन का तरीका	संलग्न प्रपत्र पूर्ण भरकर संस्था में आवेदन करना।		
8	आवेदन कहां किया जावे	संस्था प्रधान को		
9	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	<ul style="list-style-type: none"> • आय प्रमाण-पत्र • जाति प्रमाण-पत्र • शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण-पत्र 		
10	सम्पर्क सूत्र	संस्था प्रधान		
11	शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारी	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम)		